

राजस्थान सरकार



## रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक ३५९ /जयपुर/1998-९९

यह प्रमाणित किया जाता है कि आशुतोष पकिलाक, ब्रह्म

जादवा

जिला जयपुर

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज

दिनांक 13 माह 8 सन् एक हजार नौ सौ 1998

को जयपुर में दिया गया।



ह-९  
सुरेन्द्र कुमार  
रजिस्ट्रार संस्थाएं  
जयपुर

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर-1

# आधुनिक पब्लिक स्कूल समिति

मण्डा भीमसिंह, वाया-जोबनेर जयपुर

क्रमांक:-

दिनांक:

## विधान में संशोधित किये गये नियम का तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम नया नियम
1.	03	विधान के वर्तमान समस्त उद्देश्य	विधान में वर्तमान उद्देश्यों के अतिरिक्त जोड़े गये उद्देश्य निम्न प्रकार हैं: <ol style="list-style-type: none"><li>1. शिक्षा व शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर अन्य विधाओं में अनुसंधान करना।</li><li>2. विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों में शिक्षण अनुसंधान की व्यवस्था करना व राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की योजनाओं को लेकर क्रियान्वन करना।</li><li>3. कम्प्यूटर शिक्षा देने के उद्देश्य से मान्यता लेकर, कम्प्यूटर में सभी प्रकार की शिक्षा हेतु संस्थान व तकनीकी व महाविद्यालय प्रारम्भ करना, स्थापित करना, संचालन करना, अधिकार में लेना व प्रबन्ध करना।</li><li>4. व्यावसायिक व कला कौशल व रोजगार परक शिक्षा देने के उद्देश्य से मान्यता लेकर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलीटेकनिक संस्थान की स्थापना करना, संचालन करना, अधिकार में लेना व प्रबन्ध करना।</li></ol>

राज्य. संसद में विधान संशोधन 1988

की संख्या 25 के तहत

सब प्रस्तावित किया जाता है कि यह अध्याय  
विषय में संशोधन किये गये दस्तावेज को  
पृष्ठ संख्या ..... से पृष्ठ संख्या .....  
तक है, जो संशोधित है।

1. सकल दस्तावेज की दिनांक 24.2.08

2. सकल तैयार करने

कासे के हस्ताक्षर

B. S. J.

3  
विद्युत निरीक्षक  
जयपुर

Rand  
अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

# आधुनिक पब्लिक स्कूल समिति

मण्डा भीमसिंह, वाया-जोबनेर जयपुर

क्रमांक:-

दिनांक:

## विधान में संशोधित किये गये नियम का तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम	नया नियम
1.	11	अध्यक्ष - 1	अध्यक्ष - 1	
		उपाध्यक्ष - 1	उपाध्यक्ष - 1	
		मंत्री - 1	मंत्री - 1	
		कोषाध्यक्ष - 1	कोषाध्यक्ष - 1	
		सदस्य - 10	सदस्य - 16	
		पदेन सदस्य	पदेन सदस्य	
		विभागिय प्रतिनिधि - 1	विभागिय प्रतिनिधि - 1	
कुल सदस्य - 15			कुल सदस्य - 21	

*Rand*  
अध्यक्ष

*Chamki*  
सचिव

*जादीर*  
कोषाध्यक्ष

राज. अधिनियम संख्या 18/58

की धारा 18 के तहत

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रस्ताव विधान में दाखिल कराये गये दस्तावेज को पृष्ठ सं. .... से पृष्ठ ..... तक है, की सत्यप्रति है।

1. नकल देने की दिनांक 24.3.08  
2. नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर *Bairw*

*Chamki*  
सचिव

# आधुनिक पब्लिक स्कूल समिति

मण्डा भीमसिंह, वाया-जोबनेर जयपुर


क्रमांक:-


दिनांक:

## विधान में संशोधित किये गये नियम का तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम नया नियम
1.	11	पंजीकृत कार्यालय भादवा, जयपुर	पंजीकृत कार्यालय मण्डा भीमसिंह, वाया - जोबनेर जयपुर

  
अध्यक्ष

  
सचिव

  
कोषाध्यक्ष


विधान संशोधन अधिनियम 1984

की धारा 18 के तहत

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह अधिनियम में दायित्व कराये गये दस्तावेजों को पृष्ठ सं. .... से पृष्ठ सं. .... तक है, की सत्यप्रति है।

1. नकल देने की दिनांक 24.3.08

2. नकल तैयार करने

वाले के हस्ताक्षर 

  
जयपुर